

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 1983/चैत्र 10, 1905
No. 43] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1983/CHAITRA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
(न्याय विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1983

सं. 46/2/81-न्याय —भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच के गठन किए जाने की मांग से उत्पन्न
होने वाले सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए तारीख 4 सितम्बर, 1981 के
संकल्प सं. 46/2/81-न्याय के तहत श्री जसवंत सिंह की अध्यक्षता में एक तीन
सदस्यीय आयोग की स्थापना की थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट छ महीने के
भीतर प्रस्तुत करनी थी। आयोग का कार्यकाल तारीख 27 सितम्बर, 1982 के
समसंख्यक संकल्प के तहत पिछली बार 3 मार्च, 1983 तक बढ़ाया गया था।
भारत सरकार ने आयोग का कार्यकाल चार महीने की अवधि के लिए और बढ़ाने

का फैसला किया है। तदनुसार, आयोग का कार्यकाल आगे चार महीने के लिए बढ़ाया जाता है और आयोग अपनी रिपोर्ट 3 जुलाई, 1983 तक प्रस्तुत कर देगा।

कैलाश चन्द्र कनकन, उप-सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

RESOLUTION

New Delhi, the 28th March, 1983

No. 46/2/81-Jus.—The Government of India had set up a three-member Commission with Shri Jaswant Singh as Chairman vide Resolution No. 46/2/81-Jus. dated the 4th September, 1981 to consider all aspects arising out of the demand for constitution of a Bench of the Allahabad High Court for the Western Districts of Uttar Pradesh. The Commission was to submit its report within six months. The term of the Commission was last extended upto 3rd March, 1983 vide Resolution of even number dated 27th September, 1982. The Government of India have resolved to extend its term for a further period of four months. Accordingly, the term of the Commission is extended for a further period of four months and the Commission will submit its report by 3rd July, 1983.

K. C. KANKAN, Dy. Secy.